(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–561–तीन/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–01–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार परगना नरवर, जिला–शिवपुरी के प्र0 क्र0–49/2015–16/अ–70

.....

दीप सिंह पुत्र श्री बादाम सिंह रावत
निवासी–रामनगर गधाई, तहसील नरवर
जिला–शिवपुरी

----------आवेदक

विरूद्ध

मदनमोहन पुत्र श्री लखमीचंद वैश्य
निवासी–रामनगर गधाई, तहसील नरवर
जिला–शिवपुरी

----------अनावेदक

.....

श्री योगेन्द सिंह भदौरिया एवं श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02-05-17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार परगना नरवर, जिला–शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–01–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत पेश कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 872, 876, 890, 891, 892, 895, एवं 898 कुल किता 07 कुल रकबा 4.99 पर आवेदक का कब्जा है। अतः आवेदक से धारा 250 की कार्यवाही कर भूमि का कब्जा दिलाया जावे। इस पर अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/2015–16/अ–70 पर पंजीबद्ध किया जाकर, आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा आवेदक को निर्देशित किया गया कि अनावेदक

की उपरोक्त आवेदित भूमि पर अवैध कब्जा भूमिस्वामी की भूमि से हटा कर भूमिस्वामी को भूमि सौप कर कब्जा रसीद तहसील न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर पेश करें। तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही करते हुये आवेदक के ऊपर 2,00,000/— रुपये (दो लाख रुपये) का जुर्मना अधिरोपित किये जाने का आदेश दिनांक 28.01.2016 को पारित किया गया एवं आवेदक के विरूद्ध सिविल जेल भेजने की कार्यवाही किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण भेजा गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.01.2016 विधि विधान के प्रतिकूल है। अनावेदक को जो भूमि का पट्टा दिया गया है वह पट्टा अवैध है, क्योंकि अनावेदक के पास उक्त प्राप्त होने से पहले ही काफी करीब 100 बीघा भूमि पहले भूमि पहले से ही उसके नाम खसरा में अंकित थी, इसलिये जो पट्टा दिया गया है वह अवैध व मनमाना पूर्ण है। जिसकी विधिवत एवं नियमानुसार कलेक्टर शिवपुरी द्वारा स्वमेव निगरानी में लेकर प्रकरण की जांच करना चाहिये एवं जांच उपरांत अवैध व पहले से ही भूमि होने के बावजूद भूमिहीन की श्रेणी मानते हुये जो पट्टा दिया गया है वह उचित नहीं है। आवेदक का उक्त भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है। बल्कि अनावेदक को ही अवैध पट्टा जारी किया गया है जबकि आवेदक पहले से ही कब्जाधारी है, इसलिये आवेदक को पात्रता पहले थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं पर ध्यान दिये बिना जो आलोच्य आदेश दिनांक 28.01.2016 पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक दीपसिंह ने विवादित भूमि पर स्वयं का आधिपत्य होने वाली बात यद्यपि बताई है, किन्तु विवादित भूमि पर आवेदक ने अपना आधिपत्य होने बात को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की है। आवेदक की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट हो कि राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि आवेदक के

नाम दर्ज है। आवेदक ने यह कहा है कि राजस्व प्रकरण में अनावेदक ने अपने नाम से गलत प्रविष्टि अंकित कराई है, किन्तु राजस्व अभिलेख पर अनावेदक के नाम का इंद्राज किस आधार पर गलत अंकित हुआ है, इस संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य आवेदक ने प्रस्तुत नहीं की है। मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 117 के अंतर्गत भी यह प्रावधा है कि भूमि अभिलेखों में प्रविष्टियों के सही होने की उपधारणा की जायेगी, जब तक की तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये। इस प्रकरण में आवेदक की ओर से ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट हो कि अनावेदक के पक्ष में भू–अभिलेखों में की गई प्रविष्टियां गलत रूप से दर्ज की गई है।

6/ प्रकरण के अवलोकन से यह भी तथ्य प्रकट होता है कि अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 872, 876, 796, 891, 892, 895, एवं 898 के रकबा 4.99 रकबा पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा करना पाया गया है। आवेदक द्वारा बिना किसी अधिकार के अनावेदक के आधिपत्य में विवादित भूमि पर हस्तक्षेप किया गया है और इस संबंध में अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष दिये गये है, वह अभिलेख पर मौजूद एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर है, उसमें कोई विधिक त्रुटिकारित किया जाना परिलक्षित नहीं होता है।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नरवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–01–2016 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,